



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली

Project Implementation Unit, Bareilly



282/01, ग्रेटर ग्रीन पार्क, बिशप कॉनरोड स्कूल के पास, बरेली - 243 006 (उ.प्र.)

282/01, Greater Green Park, Near Bishop Conrad School, Bareilly - 243 006 (U.P.)

फोन/Tel.: +91-5812523752 • ई-मेल/E-mail : bareilly@nhai.org, piubareilly@gmail.com

17003/4/Pkg-2A-1/2022/PIU-Brly/ 17327

01-02-2023

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

शाहजहाँपुर

विषय: जनपद शाहजहाँपुर में हरदोई-लखनऊ रा रा 731 किमी 0 88.750 से 123.650 तक चार लेन चौड़ाकरण कार्य में शाहजहाँपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 10.9075 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 1262 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट एवं हरदोई वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.2540 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 152 वृक्षों के पातन/ ट्रान्सप्लान्ट अर्थात् कुल 12.1615 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक 1414 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में (Package-2A) (Proposal no. FP/UP/ROAD/157254/2022)

संदर्भ: 1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यूपी/06/315/2022/एफ.सी./817 दिनांक 11.01.2023.
2. आपका पत्रांक 2431/14-1 शाहजहाँपुर दिनांक 23.01.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, लखनऊ का पत्र संदर्भ सं.-1 प्रेषित करते हुए उनके द्वारा इंगित की गयी आपत्तियों पर आख्या चाही गयी है, निस्तारण आख्या निम्नवत् है:

S. No.	Quarries of Regional Office of MoEF&CC, Lucknow	Reply
1	The area Proposed for diversion is 12.1615 ha. PF which is not matching with area as per Kml file is 12.4770 ha. This need clarification/rectification	Corrected and uploaded on Parivesh Portal.
2	Two CA schemes of 25.0 ha. Each have been uploaded on PARIVESH portal in part-ii of the proposal under each division involved for diversion of forest area which needs to be entered/uploaded at one place only	Pertains to Forest department
3	The area proposed for CA plantation falls under barren (rocky) areas as per DSS analysis. Therefore, the concerned DFO needs to ascertain and submit a certificate that the area proposed for CA plantation is suitable for plantation. Also, out of 39.11 ha proposed for CA, 25 ha need to be demarcated separately	Pertains to Forest department

[Signature]

[Signature]
1/2

S. No.	Quarries of Regional Office of MoEF&CC, Lucknow	Reply
4	It is not clear from the proposal that what is the status of widening before and after proposed alignment.	The existing section is 2L+Paved Shoulder which is being widened to 4Lane Highway along with bypasses and structures (flyovers, VUPs etc.) at intersections. The diverted and remaining PF land is already shown in layout plan attached with Proposal.
5	Details of existing ROW, proposed ROW and land width (ROW) availability for road-side plantation needs to be submitted and accordingly plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.	The Project section is 2L+Paved Shoulder which is being widened to 4Lane Highway with bypassing major habitations with acquisition in 32m to 45m width (PROW). The road side plantation shall be carried out by the Contractor of the Project as per provision of SP-21:2009. The final plantation scheme can be available only after the final design of alignment which is in the scope of the Contractor. However, a minimum of 7,000 avenue plantation and 3,000 median plantations will be carried out along the alignment.

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयक वन प्रस्ताव की सैद्धांतिक स्वीकृति (स्टेज-1) हेतु प्राथमिकता पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे कि परियोजना का कार्य समयानुसार प्रारम्भ किया जा सके।


 (बी पी पाठक)
 परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचनार्थ प्रेषित :

1. उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. पश्चिम, भा.रा.रा. प्राधिकरण, लखनऊ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ (उ.प्र.)।
4. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
5. वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rcoz.lko-mef@nic.in

पत्र सं० ४बी/यू.पी./०६/३१५/२०२२/एफ.सी. ४१७

दिनांक: 11.01.2023

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/157254/2022

विषय: जनपद शाहजहाँपुर में हरदोई-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 किमी० 88.750 से 123.650 तक चार लेन चौड़ीकरण कार्य में शाहजहाँपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 10.9075 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 1262 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट एवं हरदोई वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.2540 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 152 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट अर्थात् कुल 12.1615 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक 1414 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ का पत्रांक 3602/81-2-2022.800 (371)/2022 दिनांक - 14.12.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएँ ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके-

1. The area proposed for diversion is 12.1615 ha. PF which is not matching with area as per .kml file i.e. 12.4770 ha. This needs clarification/rectification.
2. Two CA schemes of 25.0 ha. each have been uploaded on PARIVESH portal in part-ii of the proposal under each division involved for diversion of forest area which needs to be entered/uploaded at one place only.
3. The area proposed for CA plantation falls under barren (rocky) areas as per DSS analysis. Therefore, the concerned DFO needs to ascertain and submit a certificate that the area proposed for CA plantation is suitable for plantation. Also, out of 39.11 ha proposed for CA, 25 ha need to be demarcated separately.
4. It is not clear from the proposal that what is the status of widening before and after proposed alignment.
5. Details of existing ROW proposed ROW and land width (ROW) availability for road side plantation needs to be submitted and accordingly plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग शाहजहाँपुर एवं हरदोई।
3. परियोजना निदेशक भा० रा० रा० प्राधिकरण कार्यान्वयन इकाई ग्रीन पार्क बरेली।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट & क्लाइमेट चेंबर
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Environmental Secretariat Office, Lucknow



पत्र सं० एवी/गु.पी./०६/३१६/२०२२/एवा.सी. १११
दिनांक: ११.०१.२०२३

शुद्ध
आदि मुख्य शक्ति
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

नॉनलैंड परमिट (एवा)-UP/UP/ROAD/157254/2022

विषय: जनपद शाहजहांपुर में हरदोई-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग परमिट-१३१ निशान सं० ७६० से १२३.००० तक चार सेम जोड़ीकरण कार्य में शाहजहांपुर वन प्रभाग को अंतर्गत प्रभावित १०.७०७० हे० संरक्षित वनभूमि एवं १२०२ मूथों के घात/द्वान्तजाल एवं हरदोई वन प्रभाग के अंतर्गत १.२५४० हे० संरक्षित वनभूमि एवं वनप्रभाग १५२ मूथों के घात/द्वान्तजाल अंतर्गत मूल १२.१६१६ हे० संरक्षित वनभूमि के वीरतापिंडी प्रयोग की अनुमति एवं बायव १४१४ मूथों के घात/द्वान्तजाल की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: राशिव उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय का पत्रांक २००२/०१-२-२०२२/८०० (११)/२०२२ दिनांक - १४.१२.२०२२.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विधिवत प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा (२) के अन्तर्गत भारत सरकार की एवीयुक्ति भोगी है।

अतः ने निम्नलिखित गुप्त धारणाएँ पर प्रस्तावित करने का निर्देश दिया है कि राज्य सरकार द्वारा विद्युत पर आवश्यक सूचनाएँ ३४ कॉमल्य का उपलब्ध कराने का कार्य आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके-

1. The area proposed for diversion is 12.1615 ha. It which is not matching with area as per land file i.e. 12.4770 ha. This needs clarification/rectification.
2. Two CA schemes of 25.0 ha. each have been uploaded on PARIVESH portal in part-II of the proposal under each division involved for diversion of forest area which needs to be entered/uploaded in one place only.
3. The area proposed for CA plantation falls under barren (rocky) areas as per DSS analysis. Therefore, the concerned DFO needs to ascertain and submit a certificate that the area proposed for CA plantation is suitable for plantation. Also, out of 39.11 ha proposed for CA, 25 ha need to be documented separately.
4. It is not clear from the proposal that what is the status of widening before and after proposed alignment.
5. Details of existing ROW proposed ROW and land width (ROW) availability for road side plantation needs to be submitted and accordingly plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.

TC
5/
F/Model
3/01/23

महोदय,

(सं० प्राची गुप्ता)
उप वन म्यानिस्ट्रक (सेन्टीन)

प्रतिनिधि सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नैतिक अभिप्राय एवं मुख्य वन दस्तावेज, (वन संरक्षण) वन विभाग, १२ राणा इलाहाबाद, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग शाहजहांपुर एवं हरदोई।
3. परियोजना निदेशक नॉन लैंड प्राधिकरण कार्यान्वयन इकाई ग्रैन पार्क बरेली।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को-ऑर्डिनेटर लखनऊ को वेबसाइट पर सम्बन्धित रूप प्रेषित।

(सं० प्राची गुप्ता)
उप वन म्यानिस्ट्रक (सेन्टीन)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक २५३१/१४-१ शाहजहांपुर

दिनांक २३/०१/२०२३

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिनिधि सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: १:- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई बरेली, २६ ग्रीन पार्क वीसलपुर रोड, बरेली पिन कोड:- २४३००६, उ०प्र०, बरेली को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि विषयक प्रकरण में वांछित विन्दुओं की सूचना ०५ प्रतियों में पूर्ण कर शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

२:- प्रभागीय निदेशक सा०वा० प्रभाग, हरदोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

३:- प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि संदर्भित पत्र के क्रम में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण से सम्बंधित विन्दुओं पर चाही गयी सूचना ०५ प्रतियों में पूर्ण कर शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(प्रखर गुप्ता)

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।